

7/3/25
प्रजावकी सेवा
पादी अधिवक्ता अनुपास्थि।
करकाडा प्रमाण क्रमांक 192
दिनांक 3/12/24 पर अर्ह
हेतु यथापि ठिकसर देने के उपरान्त
भी अर्ह नही करने के कारण
एवं आक्षेप पेश करने हेतु भी यथापि
ठिकसर देने के उपरान्त भी आक्षेप
पेश नही करने के कारण उक्त
करकाडा प्रमाण स्वीकार किया
जाता है नियमानुसार स्वयं पेश
होने पर दोष विधी जावे ही।
प्रजावकी महस्य युद्धाद हकिट
नंबर 6 कफही

सहायक कलेक्टर
आधुरोड (सिरोही)

